डॉ0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या(उ0प्र0)
DR. RAMMANOHAR LOHIA AVADH UNIVERSITY,AYODHYA(U.P.)

पत्रांकः लो0अ0वि0/शैक्ष0/2739/2024 दिनांकः 10-07-2024

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/समन्वयक/प्रभारी/निदेशक,
आवासीय परिसर एवं प्राचार्य/प्राचार्या,
समस्त राजकीय/अनुदानित एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालय,
सम्बद्ध डॉ0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय,
अयोध्या।

विषयः शैक्षणिक कैलेण्डर सत्र 2024-25 को अक्षरशः लागू किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्या-972/सत्तर-1-2024 उच्च शिक्षा अनुभाग-1, लखनऊः दिनॉक 08 जुलाई, 2024 (संलग्नकः पताका-क) का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शैक्षणिक कैलेण्डर 2024-25 में निर्धारित परीक्षा/शिक्षण कार्यक्रम के अनुसार ही कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। तद्क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि आपके महाविद्यालय/संस्थान में स्नातक एवं परास्नातक पाठ्यक्रमों हेतु शैक्षिक सत्र 2024-25 के लिए **शैक्षणिक कैलेण्डर-2024-25** में उल्लेखित परीक्षा/शिक्षण कार्यक्रम की तिथियों के अनुसार ही अक्षरशः पालन करना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय

(डॉ0 अंजनी कुमार मिश्र)
कुलसचिव,

संलग्नकः यथोपरि।

पृष्ठांकन व दिनॉकः उपरोक्त।

प्रतिलिपिः-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. परीक्षा नियंत्रक/वित्त अधिकारी/उपकुलसचिव।
3. निजी सचिव कुलपति को मा0 कुलपति महोदया के सूचनार्थ।
4. प्रोग्रामर ई0डी0पी0 को इस आशय से प्रेषित कि विश्वविद्यालय एवं सम्बद्ध समस्त राजकीय/अनुदानित/स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों की कालेज लॉगिन पर पत्र एवं संलग्नक को अपलोड करना सुनिश्चित करें।

(डॉ0 अंजनी कुमार मिश्र)
कुलसचिव,

कार्यालय का पताः- प्रयागराज रोड, निकट हवाई अड्डा, अयोध्या (उ0प्र0)-224001
Website : www.rmlau.ac.in / E-Mail ID registrar@rmlau.ac.in

संख्या–972 /सत्तर–1–2024

प्रेषक,

एम0पी0 अग्रवाल,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **निदेशक,**
उच्च शिक्षा, उ0प्र0,
प्रयागराज।

2. **कुलसचिव,**
समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग–1 **लखनऊ : दिनांक 08 जुलाई, 2024**

विशयः–प्रदेश स्थित उच्च शिक्षा विभाग की समस्त उच्च शिक्षण संस्थाओं हेतु शैक्षणिक कैलेण्डर 2024–25 के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–1058/सत्तर–1–2023–16 (11)/2014 टी0सी0–।। दिनांक 17.7.2023, पत्र संख्या–1134/सत्तर–1–2023–16 (11)/2014 टी0सी0–।। दिनांक 16.8.2023 तथा पत्र संख्या–1349/सत्तर–1–2023–16 (11)/2014 टी0सी0–।। दिनांक 09.11.2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त के कम में उच्च शिक्षा विभाग के समस्त विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के स्नातक एवं परास्नातक पाठ्यक्रमों के हेतु शैक्षिक सत्र 2024–25 के लिये परीक्षा/शिक्षण कार्यक्रम निम्नानुसार निर्धारित की जाती हैः–

क0सं0	शैक्षणिक सत्र 2024–25 का प्रवेश/परीक्षा/शिक्षण कार्यक्रम	दिनांक
प्रथम सेमेस्टर (Odd Semester)		
1.	सेमेस्टर में प्रवेश प्रकिया पूर्ण करने की तिथि	24.07.2024
2.	प्रथम सेमेस्टर के नव प्रवेशित विद्यार्थियों के लिए दीक्षारंभ कार्यक्रम (One week Student Induction Programme-SIP as per UGC guidelines before/after classes, Session will decide as per time table of HEI)	25.07.2024 से 30.07.2024 (before and after classes)
3.	सेमेस्टर में नव प्रवेशित विद्यार्थियों के लिये शिक्षण कार्य प्रारम्भ	25.07.2024
4.	सेमेस्टर का शिक्षण कार्य पूर्ण होने की तिथि (15 सप्ताह/90	02.11.2024

	दिवस)	
5.	सेमेस्टर की प्रयोगात्मक परीक्षायें पूर्ण होने की तिथि*	10.11.2024
6	सेमेस्टर की परीक्षायें (30 दिन) Exam Window-1	11.11.2024 से 10.12.2024
7.	शीतावकाश (15 दिन)	21.12.2024 से 05.01.2025
8.	सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम घोषित होने की अन्तिम तिथि	05.01.2025
तृतीय एवं पंचम सेमेस्टर (Odd Semester)		
9.	सेमेस्टर का शिक्षण कार्य प्रारम्भ होने की तिथि	11.07.2024
10.	सेमेस्टर का शिक्षण कार्य पूर्ण होने की तिथि (15 सप्ताह/90 दिवस)	20.10.2024
11.	सेमेस्टर की प्रयोगात्मक परीक्षायें पूर्ण होने की तिथि*	31.10.2024
12.	सेमेस्टर की परीक्षायें (30 दिन) Exam Window-1	11.11.2024 से 10.12.2024
13.	सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम घोषित होने की अन्तिम तिथि	05.01.2025
द्वितीय, चतुर्थ, षष्टम एवं अष्टम् सेमेस्टर (Even Semester)		
14.	सेमेस्टर का शिक्षण कार्य प्रारम्भ होने की तिथि	06.01.2025
15.	सेमेस्टर का शिक्षण कार्य पूर्ण होने की तिथि (15 सप्ताह/90 दिवस)	15.04.2025
16.	सेमेस्टर की प्रयोगात्मक परीक्षायें पूर्ण होने की तिथि*	20.04.25
17.	सेमेस्टर की परीक्षायें (30 दिन) Exam Window-2	11.04.2025 से 10.05.2025
18.	सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम घोषित होने की अन्तिम तिथि	15.06.2025
19.	ग्रीष्मावकाश (30 दिन)	01.06.2025 से 30.06.2025
वार्षिक प्रणाली (Annual System)		
20.	नये विद्यार्थियों की प्रवेश प्रकिया पूर्ण करने की अंतिम तिथि	24.07.2024
21.	प्रथम सेमेस्टर/वर्ष के नव प्रवेशित विद्यार्थियों के लिए **दीक्षारंभ कार्यकम** (One week Student Induction Programme-SIP as per UGC guidelines before/after classes, Session will decide as per time table of HEI)	25.07.2024 से 30.07.2024
22.	नव प्रवेशित विद्यार्थियों के लिये शिक्षण कार्य प्रारम्भ	25.07.2024

23	शिक्षण कार्य पूर्ण होने की तिथि (30सप्ताह/180 दिवस)	31.03.2025
24.	प्रयोगात्मक परीक्षायें पूर्ण होने की तिथि	20.4.2025
25.	वार्षिक परीक्षायें Exam Window-2	11.04.2025 से 10.05.2025
26.	वार्षिक परीक्षा का परिणाम घोषित होने की अन्तिम तिथि	15.6.2025
27.	ग्रीष्मावकाश (30 दिन)	01.6.2025 से 30.6.2025

<u>नोट–</u>

1. प्रयोगात्मक परीक्षायें शिक्षण के अन्तिम सप्ताह में आरम्भ कर दी ज़ायें।
2. शासनादेश संख्या 1557/सत्तर–3–2021–16(26)/2011टी.सी. दिनांक 13.07.2021 के बिन्दु संख्या–4 में सभी पाठ्यक्रमों (विधि/चिकित्सा तथा नियमक संस्थाओं के पाठ्यक्रम को छोड़कर) में में सत्र 2022–23 तक एन०ई०पी०–2020 लागू करने के निर्देश दिये गये थे। कुलसचिव सुनिश्चित करेंगे कि विश्वविद्यालय कैम्पस तथा सम्बंधित महाविद्यालयों में संचालित सभी पाठ्यक्रम (विधि/चिकित्सा तथा नियमक संस्थाओं के पाठ्यक्रम को छोडकर) में एन०ई०पी०–2020 वो अनुसार संचालित हो रहे हैं। यदि कोई पाठ्यक्रम (विधि/चिकित्सा तथा नियमक संस्थाजों के पाठ्यक्रम को छोडकर) एन०ई०पी०–2020 के अनुरुप संचालित नहीं हो रहा है तो जुलाई 2024 सत्र से उसका संचालन एन०ई०पी०–2020 के अनुसार सुनिश्चत करेंगे ।
3. विश्वविद्यालय द्वारा मूल्यांकन कार्य परीक्षा आरम्भ होने के प्रथम सप्ताह में अराम्भ कर दिया जायेगा तथा परीक्षा समाप्ति के एक सप्ताह में पूर्ण कर दिया जायेगा।
4. विभिन्न प्रकार की गैर–शैक्षणिक गतिविधियों शिक्षण कार्य को प्रभावित किये बिना पूर्ण की जाय।
5. किसी भी परिस्थिति में शिक्षण दिवस कम होने पर शिक्षण कार्य अतिरिक्त कक्षायें/आन लाइन कक्षायें सचालित कर पूर्ण की जायें।
6. द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम एवं षष्टम सेमेस्टर की कक्षायें परीक्षायें समाप्त होने के बाद समय पर आरम्भ कर दी जायें। द्वितीय तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम सेमेस्टर के विद्यार्थियों का प्रवेश पूर्व सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम घोषित होने के 15 दिन में कक्षाओं के समय के पश्चात पूर्ण किया जायें।
7. विश्वविद्यालय परीक्षायें वर्ष में 02 बार 11.11.2024 से 10.12.2024 (Odd Semester) एवं 11.04.2025 से 10.05.2025 (Even Semester and Annual Exam) आयोजित की जायेगी। विश्वविद्यालयों द्वारा विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं के लिये महाविद्यालयों को केन्द्र बनाया जाता है. जिससे उस महाविद्यालय का कार्य प्रभावित होता है। अतः विश्वविद्यालय द्वारा अन्य किसी भी प्रकार की परीक्षा निर्धारित समय में ही आयोजित की जायेंगी। परीक्षा के लिए निर्धारित समय (Exam Window-I and 2) के अतिरिक्त किसी भी समय में कोई परीक्षा आयोजित नहीं की जायेगी। परीक्षा नियंत्रक विश्वविद्यालय में होने वाली अन्य सभी प्रकार की परीक्षाओं के परीक्षा कार्यक्रम इस तरह बनायेगे कि ये परीक्षा के लिए निर्धारित समय में पूर्ण हों विशेष परिस्थिति में अनुमति के लिए शासन को पत्र प्रेषित किया जायेगा। निर्धारित समय (Exam Window-1 and2 के पूर्व/पश्चात विश्वविद्यालयो परीक्षायें संचालित होने पर संबंधित विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक की व्यक्तिगत जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए प्रतिकूल प्रविष्टि की जायेगी।
8. सभी माईनर पेपर की परीक्षायें 1–2 दिन में आयोजित की जायें। विश्वविद्यालय माईनर पेपर/स्किल कोर्स के लिये स्वयम् (SWAYAM) पर उपलब्ध कोर्स की सूची बनाकर संस्तुत कर सकते

हैं। विधार्थी संस्तुत कोर्स का अध्ययन स्वयम् (SWAYAM) पर निःशुल्क कर सकते हैं तथा विश्वविद्यालय उसकी परीक्षा माईनर पेपर के साथ करायेंगे।

9. अधिकांश विधार्थियों के इण्टरीमीडिएट परीक्षा परिणाम 15 मई तक तथा स्नातकोत्तर के परीक्षा परिणाम 15 जून तक घोषित कर दिये जाते हैं। अतः सभी प्रकार के प्रवेश 25 जुलाई तक पूर्ण किये जायें। यदि CUET आदि जैसी परिक्षाओं के परिणाम के कारण विधार्थी प्रवेश नहीं ले पाता है तो ऐसे विधार्थियों के लिये साक्ष्य के आधार पर सीटें रिक्त होने पर प्रवेश की अनुमति विश्वविद्यालय द्वारा दी जा सकती है तथा उनका छूटा हुआ शिक्षण कार्य अतिरिक्त कक्षायें लेकर पूर्ण कराना होगा जिससे शैक्षणिक कलैण्डर प्रभावित न हो।

10. प्रवेश कार्य निर्धारित समय में पूर्ण कराने का उत्तरदायित्व संबंधित कुलसचिव का होगा। किसी भी प्रकार की देरी के लिए कुलसचिव की व्यक्तिगत जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए प्रतिकूल प्रविष्टि की जायेगी।

11. एन0न0ई0पी0–2020 के अनुसार विद्यार्थियों का सतत आंतरिक मूल्यांकन (CIE) कराया जाना है जिसे शिक्षक शिक्षण कार्य के साथ पूर्ण करेंगे। विश्वविद्यालय सतत आंतरिक मूल्यांकन (CIE) के लिए किसी भी प्रकार का मिड टर्म परीक्षायें आयोजित नहीं करेंगे। सतत अतिरिक मूल्यांकन (CIE) के लिए शिक्षक परीक्षाओं के स्थान पर शासनादेश संख्या–2058/सत्तर–3–2021–08(3)/2020 टी०सी० दिनांक 26.08.2021 में दिये गये सुझावों के आधार पर विधार्थियों का सर्वांगीण मूल्याकन करेंगे। कोरोना जैसी प्राकृतिक आपदा की स्थिति में सतत अतिरिक मूल्यांकन (CIE) के अंकों का प्रयोग किया जा सकता है। सतत् आंतरिक मूल्यांकन (CIE) में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए परीक्षा नियंत्रक नीति निर्धारित करेंगे।

12. परीक्षा नियंत्रक सुनिश्चत करेंगे कि प्रायोगिक परीक्षा में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सभी शिक्षण संस्थान (विश्वविद्यालय कैम्पस एवं महाविद्यालय) अपने संस्थान के यूट्यूब चैनल पर प्रायोगिक परीक्षाओं की लाइव स्ट्रीमिंग/अपलोड करेंगे, जो संस्थान के चौनल पर उपलब्ध रहेगी तथा सभी सस्थानों के यूट्यूब चैनल विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर लिंक किये जायेंगे। सभी संस्थान निःशुल्क अपना यूट्यूब चैनल बनायेंगे जिस पर अन्य विविध गतिविधियों को भी अपलोड कर सकते है। परीक्षा नियंत्रक प्राचार्य/प्रबन्धकों के प्रशिक्षण के लिये कार्यशाला अयोजित करेंगे ।

13. वर्तमान समय में लिखित/वर्णानात्मक (Descriptive) परीक्षा एवं बहुउत्तरीय (MCQ) परीक्षा का अपना–अपना महत्त्व है। लिखित परीक्षा से विद्यार्थी अपने ज्ञान को अनेकों प्रकार से अभिव्यक्त कर सकते हैं। वहीं प्रतियोगी परीक्षाओं में विद्यार्थियों के ज्ञान का मूल्यांकन बहुउत्तरीय (MCQ) के आधार पर किया जा सकता है। विश्वविद्यालय परीक्षा/परीक्षा परिणाम समयान्तर्गत पूर्ण करने के लिए विषम (ODD) सेमेस्टर की परीक्षा लिखित वर्णानात्मक (Descriptive) प्रकार से एवं सम (Even) सेमेस्टर की परीक्षा बहुउत्तरीय (MCQ) प्रकार से सम्पादित की जा सकती है।

14. शासनादेश संख्या–600/सत्तर–1–2019–16 (114)/2010 दिनांक 28.06.2019 के बिन्दु संख्या 09 के अनुसार यू०जी०सी०–2018 के बिन्दु सख्या 8.1 में वर्णित व्यवस्था अनुसार शिक्षक को अधिकतम 30 दिवस का कार्यवकाश (Duty leave-DL) दिया जा सकता है, जिसमें शिक्षक विश्वविद्यालय द्वारा आवंटित सभी प्रकार के कार्य करेंगे। विश्वविद्यालय द्वारा कुछ शिक्षकों को ही बार–बार कार्य आवंटित किया जाता है तथा अन्य योग्य शिक्षकों को कार्य आवंटित नहीं किया जाता है विश्वविद्यालय कुलसचिव सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी शिक्षक को 30 दिन से अधिक का विश्वविद्यालय कार्य आवंटित न किया जाये जिससे सभी शिक्षक विश्वविद्यालय कार्य में प्रतिभाग कर सकें। किसी भी दशा में शिक्षक के शिक्षा दिवसों को कम नहीं किया जायेगा।

15. शैक्षणिक कार्य को समय पूर्ण कराये जाने हेतु शैक्षणिक अवधि के उपरान्त अतिरिक्त कक्षायें चलाकर तथा अवकाश के दिनों में भी अतिरिक्त कक्षायें चलाकर शैक्षणिक कार्य को निर्धारित

कार्यक्रमानुसार पूर्ण कराते हुये ससमय परीक्षा कराये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करायें।

16. शीतकालीन तथा ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान शिक्षक अपने आवंटित मूल्यांकन/परीक्षा परीक्षा/प्रदेश/प्रवेश सबंधी कार्य को पूर्ण करने के उपरान्त ही मुख्यालय छोड़ने की अनुमति प्राप्त कर सकेंगे। शीतकालीन तथा ग्रीष्मकालीन अवकाश के समय कार्य करने पर उन्हें यू०जी०सी० नियमन–2018 नियमानुसार कुलसचिव/ प्राचार्य द्वारा उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है।

भवदीय

(एम0पी0 अग्रवाल)
प्रमुख सचिव।

संख्या–972 (1)/सत्तर–1–2024–16(11)/2014 टी0सी0–II तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. कुलपति, समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. परीक्षा नियंत्रक, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. अपर सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि समस्त सम्बन्धित को परिचालित करें तथा शासन को सूचित करें।
7. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी/मा0 राज्य मंत्री जी/समस्त विशेष सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
8. समस्त अनुभाग, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(गिरिजेश कुमार त्यागी)
विशेष सचिव